



कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//अधिसूचना//

क्रमांक/1572/भू-अर्जन/ 2024

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20/09/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि ग्राम-गुमड़ा से बालपेट सरहद तक सड़क निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची में वर्णित भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-अनुसूची-

भूमि का वर्णन-


1. जिला - दन्तेवाड़ा
2. तहसील - गीदम
3. ग्राम-नगर - गुमड़ा
4. भूमि का क्षेत्रफल- 0.096

क्र.	प्रभावित भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का मद	प्रभावित भूमि का खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6
1	सुखलाल शर्मा पिता रामकिशोर शर्मा	निजी	मरहान	994	0.008
2	बसंत लाल पिता दुलगा	निजी	मरहान	1077	0.019
3	श्रीमती जानकी पति जयसिंह	निजी	मरहान	1118	0.017
4	भगताराम पिता बलवीर	निजी	मरहान	1119	0.016
5	बुधरू पिता आयतु	निजी	मरहान	1031/2	0.023
6	चरण सिंह पिता मोहन सिंह	निजी	मरहान	1045/2	0.004
7	हेमसिंह पिता अर्जन	निजी	मरहान	1077/2	0.009
योग:-				07	0.096

02. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी गीदम के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

03. प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित हितबद्ध का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(मंयक चतुर्वेदी)

कलेक्टर

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एवं पदेन उप सचिव छ0ग0
शासन राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग